

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार**  
**आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर**  
**एल ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 87

दिनांक : 27.02.2019

प्रश्न कर्ता का नाम : श्री आदर्श शास्त्री

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	विगत 10 वित्तीय वर्ष में पश्चिम दिल्ली जिले, विशेषकर द्वारका विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली उत्पाद नियम, 2010 के नियम 32 के अनुसार "एल1-एल31, एल1एफ-एल32, एल3-एल33" एवं एल 17' कैटेगरी में जारी किये गए लाइसेंसों का पूर्ण विवरण क्या है;	दिल्ली में लाइसेंसों का निर्गमन विधानसभावार नहीं किया जाता है। पते के आधार पर विभाग में उपलब्ध अभिलेखों अनुसार विगत 10 वित्तीय वर्षों में द्वारका विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली उत्पाद नियम, 2010, के नियम 32 के अनुसार एल-1/एल-31, एल-1एफ/एल-32, एल-3/एल-33 कैटेगरी में कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। एल-17 कैटेगरी में चालू लाइसेंसों की संख्या-21 है, जिनकी सूची संलग्न-क' पर है।
ख)	विगत 10 वर्षों में पश्चिमी दिल्ली जिले में विशेषकर द्वारका विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली उत्पाद नियम 2010 के नियम 24 के तहत वर्णित शर्तों का प्रयोग का विवरण क्या है?	एल-17 लाइसेंस जारी करते समय, निरीक्षण के उपरान्त दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 24 का प्रयोग आवेदनों में सुनिश्चित किया जाता है।
ग)	दिल्ली सरकार द्वारा मद्द-निषेध पर पिछले दस वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण क्या है;	मद्द-निषेध पर पिछले दस वित्तीय वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण सूची संलग्न-ख' पर है।
घ)	दिल्ली सरकार को विगत दस वित्तीय वर्ष में उत्पाद शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है; और	अनुलग्नक-ग' पर संलग्न है।
इ)	दिल्ली सरकार द्वारा निर्गत उत्पाद विभाग से लाइसेंस प्राप्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ स्थानीय निवासियों की आपत्ति/शिकायतों पर की जाने वाली कारवाई तथा उसके तरीके का विवरण क्या है?	आबकारी विभाग के प्रवर्तन शाखा को लाइसेंस प्राप्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ स्थानीय निवासियों की शिकायतें विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें कंट्रोल रूम, पी.जी.एम.एस, शिकायती पत्र आदि शामिल हैं। शिकायत के विवरण, प्रकार, गंभीरता और शीघ्रता के आधार पर प्रवर्तन शाखा, के द्वारा निरीक्षण के उपरान्त उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा उन पर दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, के सेक्शन-17 तथा दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के अंतर्गत नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

**रवि धवन**  
(रवि धवन)

(आबकारी आयुक्त)



Q. No 87 (B)

सूची 'क'

List of L17/L17F Count in Dwarka Excise year wise		
EXCISE YEAR	LICENCE TYPE	Total
20132014	L17	2
	L17&L17F	12
	Total	14
20142015	L17	2
	L17&L17F	11
	Total	13
20152016	L17	1
	L17&L17F	12
	Total	13
20162017	L17	1
	L17&L17F	13
	L17F	1
	Total	15
20172018	L17	1
	L17&L17F	17
	Total	18
20182019	L17&L17F	21
	Total	21

*Pr*  
24/1/19

*Pr*

DIRECTORATE OF PROHIBITION: GNCT OF DELHI  
1, CANNING LANE, K.G.MARG: NEW DELHI-110001

सं.  
सूची "ख"

F.No. 7(1)/DOP/Question/Vidhansabha/2017-18 //1112

Dt. 21/2/19

To,

The Assistant Commissioner (Excise)  
Office of the Commissioner of Excise  
L & N Block, Vikas Bhawan, New Delhi.

Sub: Vidhan Sabha Unstarred question no. 87 point no. 3 raised by Shri Adarsh Shastri, Hon'ble.

Sir,

With reference to vide letter no. F. Ex./VS/2018-19/4718 dt. 20/02/2019, the requisite information is as under:-

S. No.	Financial Year	Expenditure incurred on Advertisement & Publicity (Rs.)
1.	2008-09	7258412
2.	2009-10	13487948
3.	2010-11	14366315
4.	2011-12	15999959
5.	2012-13	20271635
6.	2013-14	44188855
7.	2014-15	1042030
8.	2015-16	16000
9.	2016-17	3637531
10.	2017-18	9824001

This issues with the prior approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Joint Director  
(Proh.)

'२१' )  
सूची 'ग'

**BUDGET ESTIMATE AND ACTUAL COLLECTION OF REVENUE**

**(2008-09 to 2017-18)**

Head	Year	Actual Collection (Rs in Crores)
0039 EXCISE	2008-09	1420.91
0039 EXCISE	2009-10	1643.56
0039 EXCISE	2010-11	2027.09
0039 EXCISE	2011-12	2533.72
0039 EXCISE	2012-13	2869.74
0039 EXCISE	2013-14	3151.63
0039 EXCISE	2014-15	3422.39
0039 EXCISE	2015-16	4238.32
0039 EXCISE	2016-17	4238.50
0039 EXCISE	2017-18	4551.57